न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 140/2024

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. देवीसिंह पुत्र स्व. श्री रतनसिंह 2. शिवसिंह पुत्र श्री देवीसिंह 3. विक्रमसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जातियान–राजपूत निवासीगण–ग्राम बनाड तहसील व जिला जोधपुर		1. जयसिंह पुत्र श्री नन्दसिंह 2.. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री नन्दसिंह के कायम मुकाम 2/1–अंजु कंवर पुत्री श्री नन्दसिंह 2/2–अरूणा कंवर पुत्री श्री नन्दसिंह जातियान राजपुत, निवासी भगत की कोठी, पाली रोड. जोधपुर 3. श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री जवरीमल जाति ओसवाल, निवासी–बी–32 शास्त्रीनगर जोधपुर। 4. उप–पंजीयक प्रथम जोधपुर 5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 5438 दिनांक 03.07.2020 जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा विधि विरूद्ध स्वीकृत किया गया को खारिज करने बाबत।

उपस्थितिः– 1. अपीलान्टस की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल गोरा उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 व 2/2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकरण खोजा उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 04.06.2025

अपीलान्ट देवीसिंह पुत्र स्व. श्री रतनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बनाड़ तहसील व जिला जिला जोधपुर व अन्य ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट जयसिंह पुत्र श्री नन्दसिंह, जाति राजपूत निवासी भगत की कोठी पाली रोड़ जोधपुर व अन्य के विरूद्ध तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 03.07.2020 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 5438 ग्राम बनाड़ को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्टस की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम बनाड़ के खसरा संख्या 344 रकबा 100 बीघा 14 बिस्वा भूमि आई हुई है जिस पर जागीर के समय से अपीलान्टस के पिता व दादा स्व. श्री रतनसिंह का कब्जा व काश्त चला आ रहा था तथा वक्त सैटलमेंट अपीलान्टस के पूर्वज स्व. श्री रतनसिंह के नाम खातेदार काश्तकार दर्ज थे एवं अपीलान्टस के पिता व दादा के नाम से सब डिवीजनल ऑफिस जोधपुर द्वारा जारी पट्टा में एकमात्र खातेदार काश्तकार स्व. श्री रतनसिंह जी थे। स्व. श्री रतनसिंह के देहावसान के पश्चात उक्त खसरे की कृषि भूमि पर अपीलान्टस काबिज काश्त उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा उक्त खसरा संख्या 344 की भूमि की बिगोड़ी शुरू से लेकर अपीलान्ट के पूर्वज स्व. श्री रतनसिंह अदा करते आ रहे थे, जिससे बिगोड़ी रसीदे, ढाल–बांछ, गिरदावरी, पट्टा इत्यादि राजस्व रिकॉर्ड स्व. श्री रतनसिंह के नाम से जारी किये गये। अपीलान्टस के पूर्वज स्व. श्री रतनसिंह के नाम से उक्त खसरा संख्या 344 रकबा 100 बीघा 14 बीस्वा भूमि का पट्टा जारी किया गया था जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त पट्टे में भी हेराफेरी करने की नाकाम कोशिश की है एवं उक्त खसरा सं. 344 की गिरदावरी

कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned with CamScanner

संवत 2010 से 2013 में अपीलान्टस के पूर्वज स्व. श्री रतनसिंह पुत्र स्व. श्री सांवतसिंह की काश्त दर्ज है जिसमें संवत 2013 के कॉलम में अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों के साथ सांठ गांठ कर गलत तरीके से अपीलान्टस के पूर्वज स्व. रतनसिंह का नाम काटकर कांट छांट कर जीवनसिंह का नाम फर्जी तरीके से अंकन कर दिया। उक्त खसरे का पट्टा अपीलान्ट के पूर्वज स्व. श्री रतनसिंह के नाम से जारी किया गया था। रेस्पोडेन्टस ने उक्त खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में कांट छांट कर जीवनसिंह का नाम दर्ज करवा दिया जबकि वास्तविकता यह है कि जीवनसिंह नाम का व्यक्ति कभी उक्त खसरे की भूमि पर काबिज काश्त नही रहा और न ही अपीलान्टस के पूर्वज स्व. श्री रतनसिंह ने अपने जीवनकाल में किसी जीवनसिंह नाम के व्यक्ति को उक्त खसरे की भूमि का बेचान हस्तांतरण ही किया है जिससे उक्त प्रकार की त्रुटि उक्त खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों के साथ रेस्पोडेन्टस ने मिलीभगत कर भूमि हड़पने की नीयत से राजस्व रिकॉर्ड मे अवैधानिक तरीके से कांट छांट कर अपीलान्टस के पूर्वज स्व.श्री रतनसिंह का नाम उक्त खसरे के रिकॉर्ड से हटा दिया जिसका इनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नही है। किसी भी न्यायालय से अपीलान्टस के पूर्वज का नाम हटाने या जीवनसिंह का नाम दर्ज करने का कोई आदेश निर्देश नहीं होने से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्टस ने हेराफेरी की है तथा उक्त खसरे की भूमि पर शुरू से आज दिन तक अपीलान्टस का कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। रेस्पोडेन्टस संख्या 1–3 ने अपीलान्टस की उक्त भूमि को हडपने की लिहाज से कई प्रकार के फर्जी दस्तावेज तैयार किये है जिसमें रेस्पोडेन्टस उक्त खसरे की भूमि को जीवनसिंह द्वारा दिनांक 20.05.1955 को खरीदना बता रहे है उक्त दस्तावेज के संबंध में भी अपीलान्टस द्वारा उप पंजीयन कार्यालय जोधपुर एवं उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर मुद्रांक विभाग वृत अजमेर के कार्यालय से उक्त बेचाननामा के संबंध में नकले लेने हेतु आवेदन किया तो ज्ञात हुआ कि उक्त प्रकार का 1955 का जो बेचाननामा बताया जा रहा है जो सरासर गलत व फर्जी है। उक्त पंजीयन कार्यालयों द्वारा स्पष्ट लिखित में आदेश जारी किया है कि उक्त खसरा संख्या 344 रकबा 100 बीघा 14 बिस्वा भूमि बाबत रतनसिंह बहक जीवनसिंह के पक्ष में किसी प्रकार का बेचाननामा पंजीबद्ध नही हुआ है एव ना ही उक्त खसरे के संबंध में कार्यालय में कोई रिकॉर्ड जमा है जिससे साफ जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्टस ने कुटरचना कर फर्जी दस्तावेज तैयार किये है। एक ओर तो रेस्पोडेन्टस उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामा से भूमि को जीवनसिंह द्वारा खरीद बता रहे है बेचाननामा जो 2 रूपये के स्टाम्प पर 1955 का बतायां है ऐसा स्टाम्प 1955 में मुद्रित ही नही होता था, यानि उक्त स्टाम्प फर्जी है एवं दुसरी ओर रेस्पोडेन्टस द्वारा उक्त खसरे के अन्य व्यक्ति भंवरसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद में रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से दिनांक 15.03.2010 को एक जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जिसमें उक्त भूमि को जीवनसिंह द्वारा बेचान इकरारनामा के जरिये खरीदना बता रहे है। जिससे साफ जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1–3 बौखलाहट में हर समय अलग अलग भिन्न भिन्न दस्तावेज तैयार कर येन केन प्रकरणेन अपीलान्टस की उक्त भूमि को हडपने पर आमादा है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने उक्त विवादित खसरे की भूमि में से गलत व अवैधानिक तरीके से रेस्पोडेन्ट सं. 3 के पक्ष में 10 बीघा भूमि का बेचाननामा का दस्तावेज किया है जिसको देखने से भी साफ जाहिर होता है कि उक्त दस्तावेजो को भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 एवं उनके कर्मचारियों के साथ सांठ गांठ कर जमाबंदी में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पति पिता का नाम नन्दसिह दर्ज है जबकि बेचाननामा मे नैनसिह अंकन किया है एवं मौके पर कब्जा काश्त भी अपीलान्ट का है जिसको भी रेस्पोडेन्ट संख्या 04 उप पंजीयन कार्यालय प्रथम व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने अनदेखा कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1–3 से मिलीभगत कर अवैधानिक दस्तावेज पंजीयन व नामान्तरकरण दर्ज किया है, जो गैर कानूनी होने से अपीलाधीन नामान्तरणकरण खारिज किया जाने योग्य है। उक्त खसरे की भूमि पर शुरू से आज दिन तक अपीलान्ट का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है उक्त खसरे की भूमि में अपीलान्ट की रहवासीय ढाणियां, पशुओं के बाडे, भगवान के मंदिर, भोमियाजी का थान, पानी का होद इत्यादि बने हुए है एवं उक्त खसरे के चारो ओर स्थायी मुटाम लगाकर अपीलान्ट द्वारा तारबंदी व जाली करवाई हुई है। उक्त खसरे की भूमि पर अपीलान्टस स्वयं व गांव के अन्य लोगो के साथ मिलकर व हासिल पर खेती कार्य करवाकर शुरू से खातेदारी अधिकार चला आ रहा है जिसकी भी किसी प्रकार की जाँच किये बिना अपीलाधीन नामान्तरकरण जल्दबाजी मे विधि विरूद्ध पारित किया गया। उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 5438 पारित करने मे अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना, अपीलाधीन आदेश पारित करने मे

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned with CamScanner

विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। उक्त आदेश के निस्तारण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में उक्त प्रकरण के तथ्यों की जांच किये बिना एवं रेस्पोडेन्ट के साथ मिलीभगत कर तथा आस पड़ोस के खातेदारों व मौके की जॉच किये बिना उक्त आदेश पारित किया है। तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पहले अपीलान्ट को सूचना/सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 5438 दिनांक 03.07.2020 को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

अपील में दिनांक 18.02.2022 को विवादित आराजी राजस्व ग्राम बनाड़ तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 344 रकबा 100 बीघा 14 बिस्वा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करने के आशय की अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की गयी थी जो आज दिनांक तक प्रभावी है।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री बाबुलाल गोरा ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार कर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 03.07.2020 को नामान्तरकरण संख्या 5438 ग्राम बनाड़ स्वीकृत किया गया को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

रेस्पोडेन्टस की ओर से अधिवक्ता श्री रामकरण खोजा ने अपनी बहस में बताया कि तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 03.07.2020 को नामान्तरकरण संख्या 5438 ग्राम बनाड़ सही व विधि पूर्वक जारी किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे व तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 03.07.2020 को नामान्तरकरण संख्या 5438 ग्राम बनाड़ को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन विचारण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निर्णय पर पहुंचते है कि अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय में तथ्य छुपाकर अपील प्रस्तुत की गयी है तथा रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णय की प्रतियां पेश कर बताया कि अपीलान्टस ने अपील प्रस्तुत करने से पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उत्तर जोधपुर के यहां एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया है जो वाद संख्या 233/2012 वर्तमान में वाद संख्या 113/2017 विचाराधीन है। वाद के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसका माननीय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा अपील संख्या 183/2019 निर्णय दिनांक 25.02.2020 में पारित कर वर्तमान रेस्पोडेन्ट जयसिंह के पक्ष में निर्णय किया, जिसमें अपीलान्ट देवीसिंह के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की कि "खसरा नम्बर 344 रकबा 100 बीघा 12 बिस्वा वाके मौजा बनाड पर अपीलान्ट (लक्ष्मी कंवर व जयसिंह) के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों के उपयोग उपभोग में रेस्पोडेन्ट (किशन कंवर व देवीसिंह) किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न अन्य के माध्यम से करावे।" अपीलान्ट देवीसिंह ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की जो निगरानी संख्या 1301/2020 निर्णय दिनांक 16.03.2020 को खारिज कर राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय यथावत रखा। अपीलान्ट देवीसिंह ने इसके विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट प्रस्तुत की जो रिट संख्या 10113/2020 विचाराधीन है उसमें किसी प्रकार का कोई स्थगन प्राप्त नहीं हुआ। अपीलान्ट ने न्यायालय में तथ्य छुपाते हुए एक प्रार्थना पत्र सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के यहा धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 22/2022 में आदेश दिनांक 15.06.2022 पारित कर खारिज किया गया। तत्पश्चात् इसके विरूद्ध माननीय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के यहां अपील प्रस्तुत की, जिसमें भी उसको अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गयी, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहां निगरानी प्रस्तुत की

जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned with CamScanner

राजस्व अपील संख्या 140/2024 अनवान देवीसिंह व अन्य बनाम जयसिंह व अन्य

जो निगरानी संख्या 3788/2022 को आदेश दिनांक 21.08.2023 के जरिये खारिज कर यह निर्देश दिया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84ए के अनुसार अन्तरिम आदेश के बोर्ड में निगरानी के माध्यम से आदेश प्राप्त करने से प्रार्थी को रोकती है। रेस्पोडेन्ट जयसिंह द्वारा अपने दादा जीवनसिंह पुत्र चौथूसिंह के हक में पंजीबद्ध बेचाननामा तहसीलदार एवं उप पंजीयक जोधपुर की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। इस बेचाननामा के आधार पर पट्टा वापी गांव बनाड़ के यहां म्यूटेशन संख्या 13/1955 दिनांक 20.05.1955 की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। जो सब डिवीजनल ऑफिस जोधपुर व तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत है। इससे यह जाहिर होता है कि अपीलान्टस खसरा संख्या 344 ग्राम बनाड़ के खातेदार नहीं होने से नामान्तरकरण संख्या 5438 को निरस्त कराने का अपीलान्ट को कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट द्वारा अपील में नामान्तरकरण संख्या 5438 निरस्त करने का कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त आधारों पर अपील खारिज किये जाने योग्य होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 18.02.2022 वेकेट किया जाता है एवं अन्य सभी प्रार्थना पत्र निस्तारित किये जाते है। तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 03.07.2020 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 5438 ग्राम बनाड़ को यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

न्यायालय अपर जिला कलक्टर

Scanned with CamScanner